

श्रीमान जी निवेदन है कि वर्तमान में लिहारी में संप्रगैशन जमाबंदी आरंभ में निरंतर जारी है नवीन साफ्टवेयर में नावालिग नाम से पूर्व दर्ज होगा है जबकि उक्त जमाबंदी बनते समय यह नावालिग नाम के बाद में है जो गलत है अतः नावालिग नाम के सम्मुख अंकित कर इन्दाज दुरुस्ती उचित होगा।

श्रीमान जी द्वारा
व्यक्तिगत द्वारा

श्रीमान जी,
भू अभिलेख निरीक्षक की जाँच रिपोर्ट
मुनाबिक रिपोर्ट पटवारी दुकानी विभा. पाना अजमेर

वर्तमान में रेकार्ड में नाबा. का अंकन नाम के पीछे दर्ज होने से नामा. दर्ज नहीं किया जा सकता है। अतः नाबा. का अंकन नाम के पूर्व होने पर ही प्रार्थिका वास्ती का नामा. दर्ज किया जा सकता है अतः प्रकरण दुरुस्ती हेतु प्रस्तावित है।

तहसीलदार की रिपोर्ट
मय

2025
411

क्रमांक/107

प्रभारी अधिकारी "ग्रामीण सेवा शिविर-2025"

दिनांक:-19-9-25

आदेश

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार से अभिलेख में दुरुस्ती हेतु निवेदन किया गया है एवं इस दुरुस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं भू अभिलेख निरीक्षक की जाँच रिपोर्ट व तहसीलदार नसीराबाद की अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्रान तहसील नसीराबाद की जमाबंदी सम्वत् 2069-72 के खाता संख्या 526, 527, 528 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टी को निम्नलिखित रूप में शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	पूर्व इन्द्राज का विवरण			स्वीकृत किया गया नया इन्द्राज		
	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा
1	मुकेश नाबा. पुत्र रतनलाल, जाति-अप हि. 1/2 शेख बदरुल	इपरोबर में वगैरि	खता सं. अनुसार	नावालिग मुकेश पुत्र रतनलाल, जाति-अप हि. 1/2 शेख बदरुल	उपरोक्त खाता सं. में वगैरि अनुसार	

क्रमांक :- 4844-45 दिनांक :- 19-9-2025
प्रतिलिपि :- 1. तहसीलदार नसीराबाद को पालनार्थ
2. आदेश पत्रावली।

प्रभारी अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद, जिला अजमेर